रिश्तेदारों के साथ सुखद बर्तावः इस्लामी अक़ीदे का अटूट हिस्सा

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

पिछले हफ़्ते मेरे विस्तृत परिवार की एक बुज़ुर्ग महिला दुनिया छोड़ कर अपने आख़री पड़ाव की की तरफ़ चली गयीं। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत के बुलन्द दर्जों मे जगह दे, आमीन। उनकी ताज़ियत (पुरसे) के दौरान यह बात जानकारी में आई कि उनका एक बेटा है जो उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त है और खाड़ी के एक देश में आधी मिलियन माहाना सेलरी पर मुलाज़िम था। जब उसकी मां बीमार पड़ गयीं तो उसने अपनी पत्नि से दिल्ली में मां के पास जा कर रहने और उनकी सेवा करने का अनुरोध किया। सदाचारी पत्नि ख़ुशी ख़ुशी इसके लिए राज़ी हो गयी और दिल्ली आ गयी। बाद में जब मां की तबियत मुस्तक़िल ख़राब रहने लगी तो बेटे ने गल्फ़ में अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी और दिल्ली एन.सी.आर में एक कम दर्जे की जॉब ज्वाइन कर ली और दोनों लोग बूढ़ी बीमार मां के साथ रहने लगे। बेटे ने महसूस किया कि घुटने के दर्द की वजह से मां ऊपर छत पर नहीं जा सकतीं जबकि वह धूप में बैठना चाहती हैं तो बेटे ने घर के एक कोने में जगह बनाकर वहां एस्केलेटर लगवादिया। सुबहानल्लाह, 21 वीं सदी में भी कुछ लोग एसे हैं जो अल्लाह की उस मंशा व मक़सद को समझते हैं जिसके लिए अल्लाह ने यह दुनिया बनाई है, और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस नौजवान जोड़े की तरबियत और पालनपोषण पर दिल ललचाता है। उस नौजवान और उसकी पत्नि ने खुदा के इस निर्देश को व्यवहारिक रूप में बर्ता कि अपने वालदेन (माता-पिता) और रिशतेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो। (क़ुर्आनः 4:36). डा. मुहम्मद इक़बाल भी इस ऊंचे दर्जे के प्रशिक्षण और पालनपोषण से हैरान हुए थे, जब उन्होंने कहा थाः

यह फ़ैज़ान-ए-नज़र था या कि मकतब की करामत थी
सिखाए किसने इस्माईल को आदाब-ए-फ़रज़न्दी

(यह (मां बाप द्वारा) निगाहों से दी जाने वाली सीख थी या स्कूल का करिशमा था
इस्माईल को सुपुत्र होने के संस्कार किस ने सिखाए?)

मां-बाप की सेवा करने के महत्व को तो सब जानते ही हैं, लेकिन हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने रिशतेदारों के सम्बंध में हम पर क्या ज़िम्मेदारी डाली है।

रिशतेदारी के लिए अल्लाह ने क़ुर्आन में दो शब्द प्रयोग किए हैः *अरहाम* और *अक़रबून* या अरबी के तीन अक्षरों क़, र, बा (*क़ुर्ब*) से निकलने वाले वाले अन्य शब्द जैसे *क़ुरबा, अक़रबीन, मक़रबः. अरहाम रहम* का बहुवचन है जो कि मां के पेट में उस अन्धेरे कक्ष का नाम है जिसमें इन्सान का भ्रूण पलता है। लेकिन एक बहुवचन के रूप में *अरहाम* का शब्द क़ुर्आन में उस विस्तृत परिवार के लिए प्रयोग किया गया है जिसमें अपने तथा ससुराल के सारे सगे सम्बन्धी आते हैं। आसमानी हिदायत के मुताबिक़ हम में से हर एक को अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए।(4:1) मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अपनी तफ़्सीर *तफ़्सीर-ए-माजिदी* में लिखते हैं कि शरीअत के अनुसार परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। हदीस में आता है कि कोख (गर्भाशय) अल्लाह के सिंहासन से लिपट कर फ़रियाद करता है कि जो मुझे बनाए रखे उस पर दया कर और जो मेरे भावों की अनदेखी करे उस पर दया न कर। क़ुर्आन की व्याख्याएं करने वाले सभी क़ुर्आन के स्कॉलर इस पर एकमत है कि रिशतेदारों की देखरेख करना ईमान का लाज़मी हिस्सा (वाजिब) है और जानबूझ कर उसकी अनदेखी करना गुनाह है। इस के लिए हर आदमी बराबर अल्लाह की नज़र में है। अल्लाह के रसूल (स.) ने भी फ़रमाया है कि अगर दूसरे लोग रिशतेदारी के बन्धन को तोड़ें तो भी आदमी को अपनी तरफ़ से इसको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप स. ने फ़रमाया है कि जो ज़िन्दगी में बरकत और उम्र में बढ़ोतरी चाहता हो उसे चाहिए कि रिशतेदारों के साथ अच्छा व्यवहार (*सिला रहमी*) करे।

अबु हरैरा (रज़ि.) ने एक बार शिकायत की कि मैं अपने रिशतेदारों के साथ बढ़ चढ़ कर मिलता हूं लेकिन कुछ लोग एसे हैं जो मेरे मिलने को पसन्द नहीं करते। रसूल (स.) ने फ़रमाया कि जब तक तुम उनसे मिलने की कोशिश करते रहोगे एक फ़रिशता तुम्हारे साथ लगा रहेगा। अल्लाह हम से यह भी चाहता है कि हम समाज को शरीअत की इन तालीमात को याद दिलाते रहें।(26:214) । अल्लाह हमें यह भी ख़बरदार करता है कि दूसरे लोगों के मुक़ाबले हमारे रिशतेदार हमारी देखरेख के ज़्यादा हक़दार हैं।(33.36) *तफ़्हीमुल क़ुर्आन* में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ज़रूरतमन्द रिशतेदारों की अनदेखी करके दूसरे लोगों को ज़कात या सदक़ा देना अल्लाह को पसन्द नहीं है। यतीम रिशतेदारों (*यतीमन ज़ा मक़रबा*) की मदद का ज़िक्र क़ुर्आन में ख़ास तौर से अलग किया गया है और उनकी मदद करने का सवाब ज़्यादा है। (90:15) हमें चेताया गया है कि इन आसमानी निर्देशों के ख़िलाफ़ चलने से सामाजिक अफ़रा तफ़री पैदा हो सकती है। अल्लाह तआला अपने द्वारा दी गयी व्यवस्था को नुक़सान पहुंचाने वालों को ना-पसन्द करता है और उनकी निन्दा करता है। *तफ़्हीमुल क़ुर्आन* में है कि यह आयत *क़ता रहमी* (रिशतेदारी को तोड़ना) को निषेध (हराम) कामों में गिनाती है। जबकि *सिला रहमी* (रिशते को जोड़ना) बहतरीन कामों (*आमाल-ए-सॉलिहा*) में से है।

क़ुर्आन के व्याख्याकारों (मुफ़स्सरीन) के अनुसार दूर व क़रीब के सभी रिशतेदारों से मिल कर जो कुम्बा बनता है उसे *ज़विल अरहाम* कहा गया है। इस कुटुम्ब के महत्व को बताने के लिए अल्लाह ने *अल मवद्दति फ़िल क़ुर्बा* का शब्द स्तेमाल किया है।(42:23) रिशतेदारी को तोड़ना या छोड़ना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बुराई है। अल्लाह की स्कीम में *ज़विल अरहाम* को आन्तरिक रूप से आत्मनिर्भर ग्रूप बनाया गया है। *ज़विल अरहाम* में कुछ लोग बहुत मालदार, कुछ बहुत ग़रीब, कुछ लोग ग़रीबी के किनारे पर हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे और कुछ अनपढ़ होते हैं। लेकिन पूरा ग्रूप मिलकर आपस में एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर होता है। इस ग्रूप के हर सदस्य पर अल्लाह ने एक दूसरे का ख़्याल रखने की ज़िम्मेदारी डाली है। *सिला रहमी* के अन्तर्गत अल्लाह तआला हम से कम से कम यह चाहता है कि एक आदमी अपने रिशतेदार के साथ जो बहतर से बहतर बर्ताव कर सकता है उससे बचे नहीं। क़ुर्आन की दो आयतों (17.26, 30.38) में *सिला रहमी* को *ज़विल अरहाम* ग्रूप के मालदार और ताक़तवर सदस्यों की सम्पत्ति व क्षमताओं पर ज़रूरत मन्द रिशतेदार का हक़ बताया गया है। थोड़ी देर को सोचें कि अल्लाह तआला *ज़विल अरहाम* के केलीडोस्कोप को अगर कभी उलटा घुमा दे और लाल रंग सफ़ेद दिखाई देने लगे तो क्या होगा। *क़ता रहमी* रिशतेदारों के साथ बुरा व्यवहार करना या जो कुछ उनके लिए किया जा सकता है वह न करना है। 17.6 आयत में अल्लाह ने हमें पाबन्द किया है कि हम अपना माल बे-ज़रूरत या हद से ज़्यादा ख़र्च न करें, इसके बजाए ज़रूरत मन्द रिशतेदार का हक़ अदा करें।

इसी तरह अल्लाह ने हमें इस बात से भी चेताया है कि रिशतेदारो के पक्ष में हम कोई एसा काम न करें जो अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि एसा करने पर अन्तिम फ़ैसले के दिन कोई रिशतेदार भी हमारे काम न आएगा। आयत 4.135 में अल्लाह यह भी फ़रमाता है कि हम न्याय के साथ खड़े हों चाहे वह हमारे अपने ख़िलाफ़, हमारे माता पिता के ख़िलाफ़ या दूसरे रिशतेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो, चाहे वे मालदार हों या ग़रीब। हमें अपनी इच्छाओं को अल्लाह के आदेश निर्देश के उपर नहीं रखना चाहिए बल्कि हमें अल्लाह से किए अपने वचन को पूरा करना चाहिए।(6.152) अल्लाह ने रसूलुल्लाह स. से फ़रमाया, इन से कहो कि मैं तुम से कोई बदला नहीं चाहता हां यह चाहता हूं कि कम से कम स्वभाविक रिशतेदारी का तो ख़्याल रखो। मौलाना अशरफ़ अली थानवी की तहक़ीक़ हमें बताती है कि रिशतेदारों की देखभाल करने से ईमान निखरता है और उस में तरक़्क़ी होती है।